

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5426
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी

†5426. श्री विष्णु दयाल राम:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत प्रवासी परिवारों को एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए कोई विशिष्ट छूट दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दो वर्षों के दौरान कितने पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अपने एलपीजी सिलेंडरों को रीफिल किया है; और
- (ग) पीएमयूवाई ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों, विशेषकर देवास लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण घरों, विशेषकर महिलाओं और परिवारों के जीवन पर किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा देवास लोक सभा संविधान क्षेत्र (जो देवास, सीहोर, अगर मालवा और शाजापुर जिला के तहत आते हैं) में पीएमयूवाई योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों के ब्यौरे अनुलग्नक -क में दिए गए हैं।

पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के नाम पर जारी होता है, बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियमों और शर्तों को पूरी करता हो। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, जारी किए गए 8.99 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनों में से 8.34 करोड़ ग्राहकों ने पिछले दो वित्त वर्षों अर्थात् अप्रैल 2022 और मार्च, 2024 के बीच के दौरान कम से कम एक रीफिल का लाभ उठाया है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और प्रतिवेदनों से अभिज्ञात हुआ है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं और परिवारों के जीवन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं :-

i. पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप पारंपरिक रूप से भोजन पकाने के तरीकों, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस ईंधन को जलाना शामिल है, में बदलाव आया है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएँ के संपर्क में अधिक आते हैं, में सुधार होता है।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, अक्सर अपने समय और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पारंपरिक रूप से भोजन पकाने का ईंधन इकट्ठा करने में निकाल देते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा भोजन पकाने में लगने वाले समय और मेहनत को कम किया है। इस प्रकार, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग कई क्षेत्रों में आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

iii. बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी में बदलाव से भोजन पकाने के प्रयोजन से लकड़ी और अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल परिवारों को लाभ होता है, बल्कि व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रयासों में भी योगदान मिलता है।

iv. बेहतर भोजन पकाने की सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभाव्य सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन पकाना आसान हो जाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सर्वर्धन होता है।

अनुलग्नक-क

“प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लभार्थी” के बारे में श्री विष्णु दयाल राम, श्री माधवनेनी रघुनंदन राव, श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री नव चरण माझी और श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अंतरांकित प्रश्न सं. 5426 के भाग (क) से(ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक :

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शनों के ब्यौरे

राज्य/यूटी	पीएमयूवाई ग्राहकों की संख्या
मध्य प्रदेश	88,47,087
राजस्थान	73,81,514

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जिला	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या(लाख में)
देवास	1.30
सीहोर	1.75
शाजापुर	1.34
आगर मालवा	0.84

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड